



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 871] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1989/पौष 5, 1911
No. 871] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1989/PAUSA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिसंजल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1989

का. आ. 1070(अ) :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बंट) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आर्बंट) (दो सी छठा संशोधन) नियम 1989 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य प्राबन्धन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “सूचना और प्रसारण मंत्रालय” शीर्षक के अधीन,—

प्रविष्टि 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“14. (i) संघ सूचो को प्रविष्टि 60 के अधीन विधान, अर्थात् ‘प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी’ ।

(ii) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) का प्रथम ;

(ख) “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “संस्कृति विभाग” उप शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 46 को काट दिया जाएगा ।

आर. वैकटरामन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/89-भं.]

बी. के. दाम, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1989

S.O. 1070(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixth Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)”, for entry 14, the following shall be substituted, namely :—

“14. (i) Legislation under entry 60 of the Union List viz., ‘Sanctioning of Cinematograph Films for Exhibition’.

(ii) Administration of Cinematograph Act, 1952 (37 of 19652)";

- (b) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "D. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)", entry 46 shall be deleted.

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[No. 74|2|1|89-C&B]

B. K. DAS, Jt. Secy.

